

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 08/2022-राज्य कर

दिनांक: 2/8/ 2022

सं.फा.03(14)/वित्त(व्यय-1)/2022-23/डीएस-1/662 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन वे उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित महीने के लिए उक्त विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रति वर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
	इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक दिसंबर, 2020 महीने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे लेकिन उन्होंने उक्त माह के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :- 1. 07AABCB3428PICS 2. 07AACCO1714E1C8 3. 07AADCI2004E1CK 4. 07AAACZ8318D1CN 5. 07AADCD4946L1CN 6. 07AAECC3074B1CF 7. 07AAKCA6148C1C4 8. 07AACCF0683K1CU 9. 07AAICA3918J1CV	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक
2.	इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक स्तंभ (3) में उल्लिखित महीनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे लेकिन उन्होंने उक्त महीनों के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक	सितंबर, 2020, अक्टूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से

नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :- 1. 07AAHCP1178L1CD 2. 07AADCM5146R1C8	धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक
---	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

*मनोज कुमार*  
(मनोज कुमार)  
उपसचिव-I (वित्त)

सं.फा.03(14)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/662

दिनांक: 2/2/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नईदिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नईदिल्ली।
- नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नईदिल्ली।
- वेबसाईट।
- गार्डफाइल।

*मनोज कुमार*  
(मनोज कुमार)  
उपसचिव-I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 08/2022-State Tax

Dated: 2/8/ 2022


No. F.3 (14)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/664 -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 read with section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of interest per annum to be 'Nil', for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, who were required to furnish the statement in FORM GSTR-8, but failed to furnish the said statement for the months mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table by the due date, for the period mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act, for the month of December, 2020, by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said month in the electronic cash ledger, namely:- 1. 07AABCB3428P1CS 2. 07AACCO1714E1C8 3. 07AADCI2004E1CK 4. 07AAACZ8318D1CN 5. 07AADCD4946L1CN 6. 07AAECC3074B1CF 7. 07AAKCA6148C1C4 8. 07AACCF0683K1CU 9. 07AAICA3918J1CV	December, 2020	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

2.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act for the months mentioned in column (3), by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said months in the electronic cash ledger:- 1. 07AAHCP1178L1CD 2. 07AADCM5146R1C8	September, 2020, October, 2020, November, 2020, December, 2020 and January, 2021.	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.
----	--	--	---


By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

  
(Manoj Kumar)  
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3 (14)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/662  
Copy forwarded for information to:-

Dated: 2/8/2022

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

  
(Manoj Kumar)  
Dy. Secretary I (Finance)